


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल जज	नम्बर अहक हुकम में
<p>22-7-5</p> <p>वाकूल सुकराम</p> <p>For शुद्ध गुणवत्ता</p>	<p>पत्रावली आज वादीगण सुकराम, काबू के प्राप्पत्र पर लोक अदालत में पेश हुई। वादीगण ने दावा विद्वान् किये जाने तथा स्वकीन दावा पेश करने की अनुमति देने हेतु राजीनामा व प्राप्पत्र पेश किया है।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामा पर वादीगण को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को दावा वापिस लेने एवं स्वकीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। पचा छठी जारी किया जावे। पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी </p>	

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उन्वान

1. सुकराम पुत्र गंगाल्या, बैरवा निवासी बैरवा कोलोनी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी
2. बाबू पुत्र गंगाल्या, बैरवा निवासी बैरवा कोलोनी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेश पुत्र गोविन्द, बैरवा निवासी बैरवा कोलोनी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र गेंदीलाल, बैरवा निवासी बैरवा कोलोनी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी
2. रतन दत्तक पुत्र दुर्गा, बैरवा निवासी बैरवा कोलोनी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर एवं सब रजिस्ट्रार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषण खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 70/2013

वादीगण की ओर से वादी सुकराम, बाबू व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी -
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.07.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी)
के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि आर डिक्री की जाय
है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीगामे के अनुसार वादीगण वाद को वापिस
लेकर नवीन वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः वादीगण को दावा वापिस लेने की, इस वाद में
प्रस्तुत दस्तावेज वापिस लौटाने की एवं नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।
खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.07.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी
रहें।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद को खर्च
रूप में

प्रतिवादी

1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 _____ रूपरे पर प्लीडर की फीस	समझौते के लिए निवाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निवाह व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़

न्यायालय सप्लेण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
केम्प कोर्ट का स्थान

गंगापूर सिटी

५५

गंगापूर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 22-7-2015

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,

गंगापूर सिटी

सुकराम कर्गे

प्रतिकाद वर्ग
88, 207, 188 R.T-Act.

संख्या -

अन्तर्गत धारा

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री सुकराम, बाबूलाल
को यह है कि उक्त उत्तमान वन प्रकरण अथके न्यायालय में लखित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकती है। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच साबन्दा अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है -

प्रार्थी/वादी सुकराम, बाबूलाल
अपना दावा वापिस लेना चाहते हैं एवं नवीन दावा पेश करना
नहीं है। अतः वादीगण को दावा वापिस लेने का, दावे में प्रस्तुत दस्तावेजों
को वापिस करने की एवं नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है।

प्रार्थी/वादी से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तत्दीक कर मुकदमे का निरस्तकरण करने की कृपा करें।

- 1. वाबूलाल (बाबू फुगंगोव्या) प्रतिवादी पक्ष 1
- 2. सुकराम (सुकराम फुगंगोव्या) 2
- 3. वाडी 188, 207, 188 R.T-Act 3
- 4. मोहम्मद इस्लाम अल. 4

प्रार्थी/वादी के हस्ताक्षर पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम (प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी वाबूलाल, सुकराम एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी X
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को गृह व समझ कर सही होने
पुष्टि मया। अतः राजीनामा तत्दीक कर पक्षकार तत्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल किया गया।

(हो सदस्य) (हो सदस्य) (हो सदस्य) (हो सदस्य)

(निवेदक)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापूर सिटी